बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02 / रेगु०–2–700–04 / 2026– / पटना, दिनांक– जुलाई, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : **गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन की स्वीकृति तथा इस हेतु अनुबंध तिथि से तीन वर्ष तक के लिए कुल मो० 8,44,88,472.00 (आठ करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार चार सौ बहत्तर) रूपये के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

सात निश्चय–3 के अन्तर्गत "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" के तहत पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नई चीनी मिलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

2. नई चीनी मिलों की स्थापना एवं बंद चीनी मिलों के पुनः परिचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य में गन्ना आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रस्तावित औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं उनके प्रभावी संचालन, गन्ना आच्छादन में वृद्धि, गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण तथा निवेशकों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने हेतु तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गन्ना विशेषज्ञ, Agri Value Chain Expert, IT expert एवं अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए परामर्शी संस्था का सहयोग लिया जाना है।

3. उक्त के आलोक में वांछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया। विहित निविदा प्रक्रिया एवं प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में M/s PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd. को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तौर पर कार्य करने हेतु चयनित किया गया है। उक्त आलोक में गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन की स्वीकृति तथा इस हेतु अनुबंध तिथि से तीन वर्ष तक के लिए कुल मो० 8,44,88,472.00 (आठ करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार चार सौ बहत्तर) रूपये का व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के रूप में चयनित एजेंसी / कंपनी को तीन वर्षों की अवधि के लिए कुल मो० 8,44,88,472.00 (GST सहित) रूपये का भुगतान किया जायेगा। उक्त राशि में से वित्तीय वर्ष 2026–27 में तीन त्रैमासिक किस्तों के माध्यम से कुल मो० 2,11,22,118.00 रूपये का भुगतान किया जाएगा। शेष राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2027–28, 2028–29 एवं 2029–30 में त्रैमासिक किस्तों में किया जायेगा।

5. M/s PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd. द्वारा समर्पित किये गये RFP के आधार पर MoU कराया जायेगा तथा MoU में वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन होगा।

6. कार्य में किसी प्रकार की कमी या बढ़ोत्तरी के लिए समानुपातिक रूप से ही राशि का भुगतान किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर पर नहीं पाये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा अनुबंध निरस्त किया जायेगा। M/s PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd. द्वारा कार्य के प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को मासिक रूप से समर्पित किया जायेगा।

7. मांग संख्या–45 (गन्ना उद्योग विभाग) अन्तर्गत बजट शीर्ष 45–3451.00.090.0002–गन्ना उद्योग विभाग (मुख्य शीर्ष–3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–090–सचिवालय, उपशीर्ष–0002– गन्ना उद्योग विभाग) के अन्तर्गत विषय शीर्ष–28 04–**व्यवसायिक सेवाएँ** अन्तर्गत पुनर्विनियोग / अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि में से विकलनीय होगा।

6/7/2026

Swikirtyadesh-4

8. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 (वि०) 2 दि0–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. कार्यक्रम के संलेख प्रस्ताव पर वित्त विभागीय संकल्प संख्या–343 / वि०, दिनांक–09.04.2026 की कंडिका–5 (ii) के आलोक में विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या– 02 / रेगु०–2–700–04 / 2026 के पृष्ठ–27 / टि० पर दिनांक–30.06.2026 को प्राप्त है।

11. कार्यक्रम के स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा संचिका संख्या–02 / रेगु०–2–700–04 / 2026 के पृष्ठ–29 / टि० पर दिनांक–03.07.2026 को सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–2–700–04 / 2026– / पटना, दिनांक– जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–2–700–04 / 2026– 230 स्था०/cc / पटना, दिनांक– 06 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / सहायक ईखायुक्त, उ० बिहार, मुजफ्फरपुर / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा / बजट शाखा / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, मोतिहारी एवं पटना / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास तथा प्रबंधक / महाप्रबंधक / कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य की सभी कार्यरत चीनी मिलें / अध्यासी / महाप्रबंधक, प्रतापपुर (उ० प्रदेश) चीनी मिल / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/7/2026

ईखायुक्त, बिहार।